भू-स्वामी / भू-स्वामियों ... क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्पादित किया जाने वाला समझौता पत्र

यह समझौता पत्र आज दिनांक .... वर्ष .... को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/है जिसे आगे ... किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात:

1. रामाश्रय .... पुत्र श्री दुर्बल .... अंश 1/4
2. लालजी .... पुत्र श्री दुर्बल .... अंश 1/4
3. लालमन .... पुत्र श्री दुर्बल .... अंश 1/4
4. हीरामन दुर्बल २ 1/4

प्रथम पक्ष(जिसे एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और,
भारत सरकार के राष्ट्रपति / भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे ....(क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूँकि उल्लिखित ... भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/है जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है,
और चूँकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/है, कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय की पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते हैं।
(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने मे सक्षम होगा।
(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो यह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस पर फसल खड़ी हो ,परन्तु यह कि अनुसूची मे वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर के सम्पूर्ण धनराशी का /के अनन्य रूप से हकदार नही है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की सभी ... और ... के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी ... उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।
(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा मे उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने मे असफल रहता है/ रहतें है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रूप मे वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची मे वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मुल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।
(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण/निबन्धन सम्बधी समस्त शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 मे वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण ढंग से करके सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची- 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नही है।

हीरामन रामाश्रय

लालमन

लालजी

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

परिशिष्ट—1

भूस्वामी/भूस्वामियों से ... निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्पादित किया जाने वाला समझौता पत्र।

यह समझौता पत्र आज दिनांक 8/9/17 वर्ष 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे ... किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात:

(1) रमेश ......पुत्र श्री ...श्री लाल...... अंश ...1/3......

(2) दिनेश ......पुत्र श्री ...श्री लाल...... अंश ...1/3......

(3) चन्द्रप्रकाश ......पुत्र श्री ...श्री लाल...... अंश ...1/3......

प्रथम पक्ष(जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और;
भारत सरकार के राष्ट्रपति/ भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे........................(क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष (जिसे एतदपश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूँकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, और चूँकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं, कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय की पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते हैं।
(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर पश्चात सही हो ,परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर के सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रुप से हकदार नही है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दावों के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी पर उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।
(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण/निबन्धन सम्बंधी समस्त शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची–1 मे वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची– 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नही है।

नि॰ चन्द्रप्रकाश

दिनेश निषाद

रमेश कश्यप

सुनीता देवी

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

प्रपत्र-ग

भूस्वामी/भूस्वामियों [illegible] विकास के हेतु लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता पत्र

यह समझौता पत्र आज दिनांक .... वर्ष .... को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/है जिसे आगे [illegible] किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात:

(1) धनपत .... पुत्र श्री [illegible] .... अंश 1/4

(2) रमेश .... पुत्र श्री [illegible] .... अंश 1/12

दिनेश [illegible] 1/12

(3) राजकुमार .... पुत्र श्री [illegible] .... अंश 1/12

प्रथम पक्ष(जिसे एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और,
भारत सरकार के राज्यपाल/ भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे ....(क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्नुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूँकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर और कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/है जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है,
और चूँकि भूस्वामी आगे सहमत है/है कि अनुसूची में वर्णित भूखण्ड कोई बात या भूखण्ड किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से [illegible] जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस पर फसल खड़ी हो ,परन्तु यह कि अनुसूची मे वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिफल के सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रुप से हकदार नही है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिफल का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकार या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की [illegible] और [illegible] के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी पर उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा मे उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने मे असफल रहता है/ रहतें है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप मे वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची मे वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मुल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण/निबंधन सम्बंधी समस्त शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 मे वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारो पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण बहाना करके सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची- 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी मे नही है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

प्रपत्र संख्या–1

भूस्वामी/भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौतें द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्पादित किया जाने वाला समझौता पत्र

यह समझौता पत्र आज दिनांक 9/9/17 वर्ष 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/है जिसे आगे की वर्णित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात:

(1) रामरतन पुत्र श्री रामशकल अंश 1/2

(2) रामरती पुत्र श्री रामशकल अंश 1/2 (लापता)

(3) .... पुत्र श्री .... अंश ....

प्रथम पक्ष(जिसे एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और;
भारत सरकार के राष्ट्रपति/ भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे..................(क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूँकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/है जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है. और चूँकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/है, कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय की पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।
(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस पर फसल खड़ी हो ,परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि दर और कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर के सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रूप से हकदार नही है/है, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेंगे और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियां और दायित्वों के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी पर उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षो के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।
(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।
(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण/निबन्धन सम्बधी समस्त शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची–1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण तरीके करके सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची– 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नही है।

रामरतन

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

प्रपत्र संख्या–1

भूस्वामी/भूस्वामियों [illegible] निकाय [illegible] योजनाओं के लिए समझौतें द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्पादित किया जाने वाला समझौता पत्र।

यह समझौता पत्र आज दिनांक 8/9/17 वर्ष 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे [illegible] लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतदद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात:

(1) फौजदार पुत्र श्री जुनेहल अंश 1/3

(2) राजा पुत्र श्री जुनेहल अंश 1/3

(3) इन्द्रल पुत्र श्री औरक अंश 1/3

प्रथम पक्ष([illegible] एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और;
भारत सरकार के राष्ट्रपति/ भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे.........................(क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष (जिसे एतदपश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूँकि उल्लिखित [illegible] भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, और चूँकि भूस्वामी अनेतर सहमत है/हैं, कि अनुसूची मे वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रुप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतदद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते हैं।
(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने मे सक्षम होगा।
(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस पर फसल खड़ी हो ,परन्तु यह कि अनुसूची मे वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर के सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रुप से हकदार नही है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दावों के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी पर उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।
(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा मे उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने मे असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रुप मे वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची मे वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण सम्बद्ध भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मुल्यं की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्व. [illegible] किया जायेगा।
(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण/निबंधन सम्बधी समस्त शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची–1 मे वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण तरीके से करके सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची– 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नही है।

राजा

इन्द्रल

फौजदार

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

प्रपत्र संख्या-1

भूस्वामी/भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्पादित किया जाने वाला समझौता पत्र।

यह समझौता पत्र आज दिनांक 8/9/17 वर्ष 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे की अनुसूची में अंकित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात:

(1) केशव पुत्र श्री श्यामदास अंश 1/4

(2) शिवदास पुत्र श्री तपसी अंश 1/4

(3) तुफानी पुत्र श्री बुद्धू अंश 1/8

(4) मजरू पुत्र श्री बुद्धू 1/8

प्रथम पक्ष (जिसे एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और

भारत सरकार के राष्ट्रपति/भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे ....(क्रय निकाय का नाम)

द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूँकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है. और चूँकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं. कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रुप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय की पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।

अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते हैं।

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर के सम्पूर्ण धनराशी का /के अन्यथा रुप से हकदार नही है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दावों के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी पर उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने मे असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रुप मे वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची मे वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मुल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण/निबंधन सम्बधी समस्त शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 मे वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।

(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची- 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपी...

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

[illegible]

[illegible] द्वारा भूमि [illegible] सुनिश्चित किया जाये [illegible]

यह समझौता पत्र [illegible] को .... को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पादित कर/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे [illegible] गया है और निम्नलिखित अंशो में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात

1. गरीब पुत्र श्री गोमती अंश 6720

2. .... पुत्र श्री .... अंश ....

3. .... पुत्र श्री .... अंश ....

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और;
भारत सरकार के सहयोग/भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे............(क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष (जिसे एतदपश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूँकि उल्लिखित भूस्वामी भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, और चूँकि भूस्वामी आगे सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखण्ड कोई बात या भूखण्ड किसी चीज से स्थायी रुप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय की पूर्व अनुमोदन से बनाया ही जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।
(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर प्रस्ताव नहीं था, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिफल के सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रुप से हकदार नहीं है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिफल का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उसकी गयी किसी भी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दावों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी को उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।
(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का अथवा भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।
(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण तरीके से सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।

गरीब

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

[illegible] अनुसूची [illegible]

[illegible] के लिए सम्बन्धित द्वारा भूमि [illegible] हेतु प्रस्तुत किया [illegible] [illegible]

यह समझौता [illegible] 9/9/17 ....को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं [illegible] और निम्नलिखित अंशों में एतद्‌द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात

मोहनराम [illegible] पुत्र श्री (विश्राम) अंश (सम्पूर्ण)

[illegible] पुत्र श्री .... अंश ....

[illegible] पुत्र श्री .... अंश ....

प्रथम पक्ष([illegible] एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और;
भारत सरकार [illegible] / भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे..............................(क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष ([illegible] एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूँकि उल्लिखित [illegible] भूमि के [illegible] देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है.
और चूँकि भूस्वामी [illegible] सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातों क्रय निकाय के पूर्ण अनुमोदन से बदला ही जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्‌द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।
(1) यह कि [illegible] इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
(2) यह कि [illegible] भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस [illegible] नहीं हो ,परन्तु यह कि अनुसूची मे वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि [illegible] भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार [illegible] के सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रुप से हकदार नही है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रति[illegible] का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग [illegible] जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिवाद या उसके भाग के विरुद्ध क्रय [illegible]/[illegible] सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की [illegible] और [illegible] के विरुद्ध [illegible] / [illegible] भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी [illegible] / उसको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के [illegible] 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षो के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।
(4) यदि भूस्वामी पूर्वोक्त पैरा में उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने मे असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे [illegible] के बकाये के रुप मे वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची मे वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण [illegible] भूमि के [illegible] है तो उस धनराशी को कुल भूमि मुल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी [illegible] किया जायेगा।
(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा [illegible] पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 मे वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण तरीके करके सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची– 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी मे नही है।

मोहनराम

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

[illegible] इस समझौता द्वारा पूर्व [illegible] सम्पादित किया गया

यह समझौता [illegible] 9/9/17 [illegible] 2017 ......को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/है [illegible] और निम्नलिखित अंशो में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात

(1) हरिनाथ पुत्र श्री जागली अंश 1/4

(2) बैजनाथ पुत्र श्री जागली अंश 1/4

(3) रघुनाथ पुत्र श्री जागली अंश 1/4

(4) लक्ष्मीना जागली 1/4

प्रथम पक्ष([illegible] एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और;
भारत सरकार के राष्ट्रपति/ भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे............................(क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूंकि उल्लिखित [illegible] भूमि के [illegible] देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/है जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है.
और चूँकि भूस्वामी [illegible] सहमत है/है, कि अनुसूची में वर्णित भूखण्ड कोई बात या भूखण्ड किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय में एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।
(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
(2) यह कि [illegible] भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, [illegible] ही इस पर [illegible] परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि [illegible] कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रूप से हकदार नही है/है, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के निमित्त क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेंगे और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की सभी धनराशी [illegible] उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी [illegible] उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।
(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण [illegible] भूमि [illegible] है तो उस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान [illegible] किया जायेगा।
(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा [illegible] पंजीकरण/निष्पादन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-- 1में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नही है।

हरिनाथ

रघुनाथ

बैजनाथ

लक्ष्मीना

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

[illegible]

[illegible] दिनांक 8/9/17 [illegible] 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं [illegible] है और निम्नलिखित अंशो में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात

(1) बाबूलाल पुत्र श्री टीमल अंश 1/4

(2) सुबाष पुत्र श्री टीमल अंश 1/4

(3) आइबल पुत्र श्री टीमल अंश 1/4

(4) रघुबीर [illegible] टीमल 1/4

प्रथम पक्ष (जिसे एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और;

[illegible] (क्रय निकाय का नाम)

भारत सरकार के [illegible] / भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे [illegible] द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित [illegible] भूमि के [illegible] देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, और चूंकि भूस्वामी [illegible] है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से बनाए ही जा सकेगी।

अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय के एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सहमत होगा।

(2) यह कि [illegible] भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस [illegible] सही था, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि [illegible] भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रति [illegible] सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रूप से हकदार नही है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रति [illegible] का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग [illegible] जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के [illegible] क्रय निकाय/भारत सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और सहायी भली किसी भी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहि[illegible] और [illegible] के विरुद्ध [illegible] / [illegible] भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की सभी धनराशी [illegible] / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के [illegible] 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।

(4) यदि भूस्वामी [illegible] ऊपर में उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से [illegible] के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने [illegible] / [illegible] का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण [illegible] भूमि के [illegible] बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मुल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी [illegible] किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा [illegible] पंजीकरण/निष्पादन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण ढंग से कपट से सम्पादित कराया है।

(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।

(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची- 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नही है।

(1) आइबल

(2) सुबाष

(3) रघुबीर

(4)

बाबूलाल

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

भूस्वामी / भूस्वामियों ... के बीच और ... के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्पादित किया जाने वाला समझौता पत्र

यह समझौता पत्र आज दिनांक 4/9/17 वर्ष 2017 को निम्न भूस्वामी / भूस्वामियों जो सम्पत्ति का / के पूर्ण स्वामी है / है जिसे आगे ... लक्षित किया गया है और निम्नलिखित अंशो में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात

(1) श्रीराम .... पुत्र श्री हिरजू .... अंश 1/32

(2) ओमकार .... पुत्र श्री हिरजू .... अंश 1/32

(3) शिवकुमार .... पुत्र श्री हिरजू .... अंश 1/32

(4) पातीपा पत्नी हिरजू 1/32

प्रथम पक्ष (जिन्हें एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और
भारत सरकार के ... / भारत सरकार के ... से कार्य कर रहे ....(क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्द्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूंकि उल्लिखित पक्षकारों भूमि के ... देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है / है जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है.
और चूंकि भूस्वामी ... सहमत है / है, कि ... कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्ण अनुश्रव्य ... की जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।
(1) यह कि क्रय निकाय द्वारा समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने मे सक्षम होगा।
(2) यह कि ... भूमि का ... कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो यह / वे ऐसा करने का हकदार होगा / होगें, भले ही इस ... परन्तु यह कि अनुसूची मे वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि ... कुल भूमि ... प्रकाश मे ... होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रति ... के सम्पूर्ण धनराशी का / के अन्यथा रुप से हकदार नही है / है, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के ... राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की गयी धनराशी ... उसे / उसको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा / करेगें।
(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा मे उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने मे असफल रहता है / रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रुप मे वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का / आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची मे वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय / अंश / प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण ... भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मुल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।
(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण / निबंधन सम्बधी समस्त शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची–1 मे वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण तरीके से सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची– 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नही है।

रामरतन

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

प्रपत्र [illegible]

भूस्वामी/भूस्वामियों [illegible] निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्पादित किया जाने वाला समझौता पत्र।

यह समझौता पत्र आज दिनांक 8/9/17 वर्ष 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे [illegible] लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात:

(1) श्रीराम पुत्र श्री किशुनदेव अंश 1/4

(2) हरीराम पुत्र श्री किशुनदेव अंश 1/4

(3) हरी पुत्र श्री किशुनदेव अंश 1/4

प्रथम पक्ष([illegible] एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और पत्नी किशुनदेव 1/4

भारत सरकार [illegible] राष्ट्रपति/ भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे........................(क्रय निकाय का नाम)

द्वितीय पक्ष ([illegible] एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूँकि उल्लिखित [illegible] पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, और चूँकि भूस्वामी अंतिम सहमत है/हैं, कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय की पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।

अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते हैं।

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि [illegible] क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस [illegible] फसल खड़ी हो ,परन्तु यह कि अनुसूची मे वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि [illegible] कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रति[illegible] के सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रुप से हकदार नही है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रति[illegible] का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग [illegible] जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/[illegible] सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की [illegible] और [illegible] के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी [illegible] उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा मे उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने मे असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रुप मे वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची मे वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण [illegible] भूमि के [illegible] बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मुल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी [illegible] किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा [illegible] पंजीकरण/निबंधन सम्बंधी समस्त शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 मे वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण ढंग से करके सम्पादित कराया है।

(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।

(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची- 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी मे नही है।

निशान श्रीराम

निशान [illegible] पत्नी हरीराम

निशान [illegible]

हरी निषाद

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

अनुसूची-II

भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्पादित किया जाने वाला समझौता पत्र

यह समझौता पत्र आज दिनांक 9/9/17 वर्ष 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे भी लक्षित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात:

(1) रामजीत ....पुत्र श्री नरोत्तम ....अंश 1/2 ....

(2) उमेश ....पुत्र श्री रामजीत ....अंश 1/2 ....

(3) ....पुत्र श्री ....अंश ....

प्रथम पक्ष(जिसे एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

भारत सरकार के राष्ट्रपति / भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे ....(क्रय निकाय का नाम)

द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूँकि उल्लिखित भूस्वामी भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है.

और चूँकि भूस्वामी आगे सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखण्ड कोई बात या भूखण्ड किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय की पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।

अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते हैं।

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो ,परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर के सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रुप से हकदार नहीं है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के निरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की राशि का भुगतान और व्यक्तियों के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी / उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण/निबन्धन सम्बंधी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण तरीके करके सम्पादित कराया है।

(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।

(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची- 1में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।

सुरेन्द्र

रामजीत

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

[illegible]

[illegible] द्वारा भूमि [illegible] हेतु [illegible] किया [illegible]
[illegible]

यह समझौता [illegible] 9/9/17 [illegible] 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं [illegible] निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात

(1) बालकृष्ण पुत्र श्री उमे अंश 1/2

(2) सुबाष पुत्र श्री उमे अंश 1/2

(3) .... पुत्र श्री .... अंश ....

प्रथम पक्ष(जिसे एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और;
भारत सरकार के [illegible]/ भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे........................(क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूँकि उल्लिखित [illegible] भूमि के [illegible] देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, और चूँकि भूस्वामी [illegible] सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय को पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।
(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सहायक होगा।
(2) यह कि [illegible] क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस [illegible] नहीं हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि [illegible] कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रति[illegible] के सम्पूर्ण धनराशी का /के अन्यथा रूप से हकदार नहीं है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रति[illegible] का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग [illegible] जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के [illegible] क्रय [illegible]/[illegible] सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उसकी गयी किसी भी हानि या नुकसान की सभी [illegible] और [illegible] के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी [illegible] उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के [illegible] प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगें।
(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण [illegible] भूमि [illegible] है तो उस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी [illegible] किया जायेगा।
(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा [illegible] पंजीकरण/निबन्धन सम्बधी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची–1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण तरीका करके सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची– 1में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।

बालकृष्ण

सुबाष

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
[illegible] अधिकारी
उत्तर [illegible] औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (लखनऊ)

[illegible] समझौते द्वारा भूमि [illegible] हेतु [illegible]

यह समझौता [illegible] 8/9/17 को 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पादित कर/रहे पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे [illegible] निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात

(1) फेकू पुत्र श्री सोमई अंश सम्पूर्ण

(2) .... पुत्र श्री .... अंश ....

(3) .... पुत्र श्री .... अंश ....

प्रथम पक्ष(जिसे एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और;
भारत सरकार के [illegible] / भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे........(क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्नुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूँकि उल्लिखित [illegible] भूमि के [illegible] देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, और चूँकि भूस्वामी [illegible] सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रुप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय के एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।
(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने मे सक्षम होगा।
(2) यह कि [illegible] भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस [illegible] नहीं हो, परन्तु यह कि अनुसूची मे वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि [illegible] भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रुप से हकदार नहीं है/हैं, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिफल का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/भारत सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उसकी भरी किसी भी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और [illegible] के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी पर उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।
(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा मे उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने मे असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रुप मे वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची मे वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण [illegible] भूमि के [illegible] है तो उस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।
(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा [illegible] पंजीकरण/निबन्धन सम्बधी समस्त शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 मे वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण ढंग से करके सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची- 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी मे नही है।

निशान फेकू

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश पूर्वांचल औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

[illegible] अनुसूची-I

भूस्वामी / [illegible] के बीच [illegible] प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्पादित किया जाने वाला समझौता पत्र।

यह समझौता पत्र आज दिनांक 4/9/17 वर्ष 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/है जिसे आगे [illegible] किया गया है और निम्नलिखित अंशो में एतदद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात:

(1) पल्टन पुत्र श्री जगत अंश सम्पूर्ण

(2) .... पुत्र श्री .... अंश ....

(3) .... पुत्र श्री .... अंश ....

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और
भारत सरकार के राष्ट्रपति / भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे .... (क्रय निकाय का नाम)
द्वितीय पक्ष (जिसे एतदपश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूँकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/है जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, और चूँकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/है, कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी वस्तुएँ क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।
अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतदद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।
(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने मे सक्षम होगा।
(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह / वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगें, भले ही इस पर फसल खड़ी हो ,परन्तु यह कि अनुसूची मे वर्णित " दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिफल के सम्पूर्ण धनराशी का /के अंशतः रूप से हकदार नही है/है, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध क्रय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दावों के विरुद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी पर उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेगें।
(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा मे उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने मे असफल रहता है/ रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रूप मे वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची मे वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।
(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण/निबन्धन सम्बधी समस्त शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 मे वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारो पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण तरीके करके सम्पादित कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है ।
(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची- 1मे वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नही है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

प्रपत्र संख्या–1

भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु सम्पादित किया जाने वाला समझौता पत्र

यह समझौता पत्र आज दिनांक 4/9/17 वर्ष 2017 को निम्न भूस्वामी / भूस्वामियों जो सम्पत्ति का / के पूर्ण स्वामी है / है जिसे आगे उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है अर्थात:

(1) श्रीराम .... पुत्र श्री हिरज .... अंश 1/32

(2) औसका .... पुत्र श्री हिरज .... अंश 1/32

(3) शिवकुमार .... पुत्र श्री हिरज .... अंश 1/32

(4) पातिया पत्नी हिरज 1/32

प्रथम पक्ष (जिसे एतद्पश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

भारत सरकार के .... / भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे .... (क्रय निकाय का नाम)

द्वितीय पक्ष (जिसे एतद्पश्चात "क्रय निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्द्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है / है जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, और चूंकि भूस्वामी और सहमत है / है कि अनुसूची में वर्णित भूमि कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय को पूर्ण अनुबन्ध से अंतरित की जा सकेगी।

अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय एतद्द्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।

(1) यह कि क्रय निकाय द्वारा समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह / वे ऐसा करने का हकदार होगा / होगें, भले ही इस पत्र के पश्चात .... कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कुल भूमि .... के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर के सम्पूर्ण धनराशी का / के अंशतः रूप से हकदार नहीं है / है, और क्रय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरूद्ध क्रय निकाय / राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठायी गयी किसी भी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दावों के विरूद्ध उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी पर उसे / उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा / करेगें।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशी क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है / रहते है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का / आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय / अंश / प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरूद्ध बकाया है तो उस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण / निबन्धन सम्बंधी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची–1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपट पूर्ण तरीके करके सम्पादित कराया है।

(2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची– 1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।

रामरतन

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़